**संख्या-20/2019/1060/53-2-2019-42(बजट)/18**

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त
दुग्धशाला विकास विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 05 नवम्बर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु हरा चारा उत्पादन एवं वितरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति (अनुदान सं0-16)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-495/दुग्ध-4/नियो0 /चारा बीज उत्पा0/ 2019-20, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 152.04 लाख (रू0 एक करोड़ बावन लाख चार हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्थिति में बैंक खाते/ पी0एल0ए0/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(4) दुग्ध विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) योजनान्तर्गत वस्तुओं /सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुडस) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय- व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार को प्रस्तुत करना होगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पी0सी0डी0एफ0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

...2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) उक्त धनराशि का व्यय एसएलएससी द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/ मदों/ कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग/ वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-हरा चारा उत्पादन एवं वितरण (के0 60/रा0 40-रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-990/दस-19, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

**संख्या-20/2019/1060(1)/53-2-2019, तद्दिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखापरीक्षा(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड़, लखनऊ।
6. कृषि अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-1
7. वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( बिन्द गोपाल द्विवेदी )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in